रस मलाई में निकली जिंदा इल्ली, केक भी बदबूदार!,

खाद्य विभाग की कार्रवाई पर उठे सवाल

सौसर, देशबन्धु। यदि आप होटल, रेस्टोरेंट, बीकानेर मिष्ठान भंडार से कोई खाद्य सामग्री खाने लेते हैं तो हो जाईये सावधान, सावधान इसीलिए यदि आप कोई सामग्री खाने के लिए लेते है और उसमे जिंदा इल्ली निकल जाये या आप जन्मदिन पर कोई केक बुलाये और उसमे बदबू आने लगे तो आपको कैसा लगेगा। यह बात कोई मनगढंत कहानी नहीं बल्कि एक उपभोक्ता के सामने आई सच्चाई है। सौसर नगर के एक ख्यातिप्राप्त बीकानेर मिष्ठान भंडार जो नगर के श्री छत्रपति शिवाजी महाराज चौक पर स्थित है। यहां से उपभोक्ता अलोक चौहान द्वारा एक रसमलाई खाने के लिये ली जाती है और उपभोक्ता द्वारा जैसे ही उसे खोलकर खाने लगते है तो उसमे

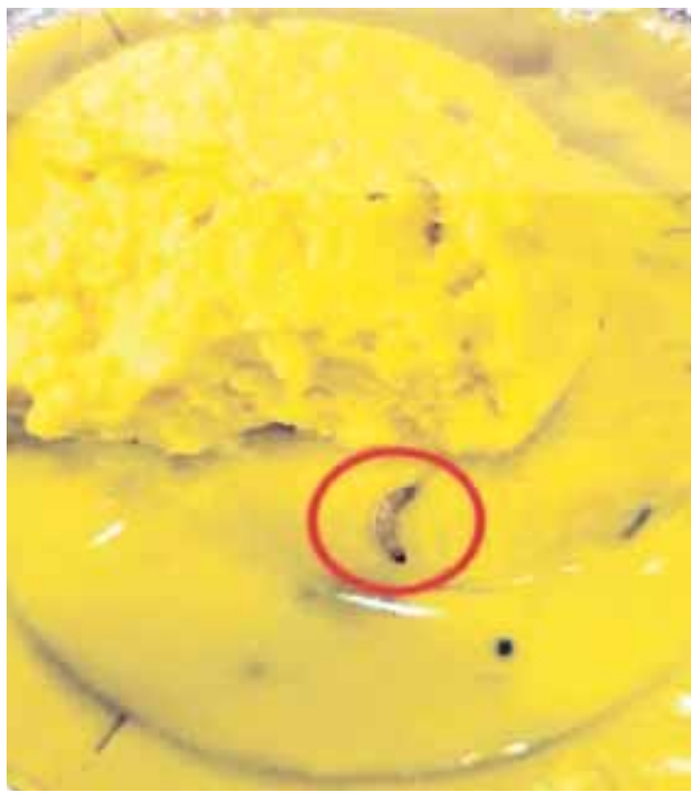

जिंदा इल्ली चलते हुए नजर आती है। क्या यह आम इंसान की जान से खिलवाड़ नहीं है।

सूत्रों द्वारा प्राप्त जानकारी के अनुसार जब उपभोक्ता द्वारा शिकायत की गई तो खाद्य विभाग एवं प्रशासन द्वारा सैम्पल लेकर खानापूर्ति की गयी।

इस सम्बन्ध में क्षेत्र के विधायक विजय चौरे द्वारा भी पाण्डुर्ना कलेक्टर को पत्र लिखकर क्षेत्र के मोहगांव रोड स्थित मिष्ठान भंडार की जाँच कर उचित कार्यवाही करने की मांग की गयी।

होटल, ढ़ाबो पर बिक रही खुली सामग्री की भी जांच की मांग-

खाद्य विभाग द्वारा केवल सैंपल लेने के नाम पर खानापूर्ति के अलावा कुछ नहीं किया जाता है जबकि सौसर तहसील से अधिकतर क्षेत्रो मे खुली खाद्य सामग्री धड़ल्ले से बिक रही है। तो वहीं क्षेत्र मे संचालित बीकानेर मिष्ठान भंडार नाम से संचालित सारी दुकानों पर बरसो पुराने नमकीन के पैकेट बिक रहे है। इस पैकट पर किसी प्रकार की कोई एक्सपायरी डेट नहीं डली है बावजूद बाजार बिक रही है। सूत्रों द्वारा प्राप्त जानकारी के अनुसार सारा खेल खाद्य विभाग के संरक्षण मे चल रहा है। इसीलिए कोई ठोस बड़ी कार्यवाही देखने नहीं मिल रही है।

किराना दुकानों पर भी खाद्य विभाग मेहरबान-आए दिन किराना दुकानों से एक्सपायरी सामान, या फिर महंगा सामान बिकने की खबरे आती है कई बार उपभोक्ताओ द्वारा शिकायत की जाती है बावजूद कुम्भकरणीय नींद मे सोया हुआ है, खाद्य विभाग कोई कार्यवाही नहीं करता है। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार खाद्य विभाग से जुड़े हुए अधिकारी साल मे दो बार चक्कर लगाते है प्रत्येक गांव मे एक दुकान पर सारी दुकानों का चंदा जमा करके लिफाफा तैयार रहता है ये लिफाफा ये साल में दो बार उठाते है जिसके कारण केवल खानापूर्ति की जाती है। बहरहाल इस घटना से क्षेत्र में मिठाई की जांच करने की मांग क्षेत्रवासियों ने की है।

चोरी की घटना की शिकायत दर्ज नहीं कर रही देहात पुलिस की उच्चाधिकारियों से जांच की मांग

छिन्दवाड़ा, देशबन्धु। लक्ष्मी भलावी एवं मुकेश कुमार काकोड़िया ने संयुक्त प्रेस विज्ञप्ति में बताया कि स्थानीय हनुमान नगर वार्ड नंम्बर 48 में राहुल मौर्य का मकान किराये से लेकर निवास करते थे एवं वही पर रेडीमेड कपड़ा बनाने की यूनिट का काम शुरू करने वाले थे जिसमें इलेक्ट्रिक 16 मशीन और प्लेन 8 मशीन का रेडीमेड कपड़े एवं अन्य सामान सभी की कीमत लगभग 20 लाख रूपये की चोरी 23 अगस्त 2026 को रात्रि 10 से 11 बजे के लगभग हुई और करीब रात्रि लगभग 11:30 बजे के बाद हम पहुंचे तो गेट का ताला टूटा है और घर का मेन दरवाजा हुक सहित ताला टूटा है। हमने तुरंत 112 डॉयल का बुलाया 112 में तैनात आरक्षक के साथ जाकर देखा तो घर का सारा सामान चोरी करके ले गये तैनात आरक्षक के द्वारा हमें कहा गया कि आप तुरंत जाकर एफ.आई.आर. दर्ज कराओं हम करीब रात्रि लगभग 12 बजे देहात थाना पहुंचे तो एफआईआर दर्ज नहीं की गयी इसके पश्चात 05 सितम्बर 2026 को देहात थाना बुलाकर थाना प्रभारी के द्वारा हम प्रार्थियों को कथित तौर पर डराया धमकाया गया एवं कहा गया कि जो करना है कर लो और जहाँ जाना है वहाँ चले जाओ मैं एफ.आई.आर. नहीं करूंगा।

श्रीमती लक्ष्मी भलावी एवं मुकेश काकोड़िया ने आगे बताया कि हम दोनों प्रार्थियों ने पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचकर अपना आवेदन दिया है और उच्चाधिकारियों से मांग करते है कि उक्त घटना की यथाशीघ्र जांच करवाकर दोषियों पर सख्त कार्यवाही की जावें की मांग की है। जहां उच्चाधिकारियों द्वारा हमें शीघ्र जांच कार्यवाही करने का आश्वासन दिया है।

सार-समाचार

अवैध कॉलोनाइजर पर कार्रवाई तीन पर एफआईआर दर्ज हुई

सौसर, देशबन्धु। लोधीखेड़ा थाना क्षेत्र के अंतर्गत ग्राम खेरीतायगांव में अवैध रूप से कॉलोनी काटकर प्लॉट बेचने के गंभीर मामले में प्रशासन ने कड़ा रुख अपनाया है। बिना किसी वैधानिक अनुमति के कृषि भूमि को छोटे-छोटे आवासीय भूखंडों में बांटकर बेचने के आरोप में तीन कॉलोनाइजरों के विरुद्ध संबंधित थाने में नामजद एफआईआर दर्ज कराई गई है।

जांच में खुली नियमों की अनदेखी की पोल

प्रशासन को मिली शिकायत और दस्तावेजों की विस्तृत जांच के बाद यह फर्जीवाड़ा उजागर हुआ। ग्राम पंचायत खेरीतायगांव स्थित भूमि पर टाउन एंड कंट्री प्लानिंग अथवा सक्षम प्राधिकारी से स्वीकृत ले-आउट और वैध अनुमतियां लिए बिना ही आवासीय कॉलोनी काटी जा रही थी। नियमों को ताक पर रखकर कॉलोनाइजरों ने यहां कई लोगों को प्लॉटों की अनधिकृत रजिस्ट्री व बिक्री कर दी।

कानून के दायरे में आया मामला

मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 के तहत बिना अनुमति कृषि या अन्य भूमि पर कॉलोनी काटना अवैध कॉलोनाइजेशन की श्रेणी में आता है। अधिकारियों ने स्पष्ट किया कि दोष सिद्ध होने पर संबंधित कॉलोनाइजरों को 3 से 7 वर्ष तक के कारावास और भारी जुर्माने की सजा हो सकती है। प्रशासन ने साफ कर दिया है कि यह केवल प्रक्रियात्मक चूक नहीं, बल्कि एक गैर.जमानती आपराधिक कृत्य है।

प्लॉट खरीदने से पहले जांचें दस्तावेज एसडीएम

प्रशासन ने आम जनता से अपील की है कि अपनी गाढ़ी कमाई फंसाने से पहले पूरी सतर्कता बरतें। एस.डी.एम. सिद्धार्थ पटेल ने प्लाट धारकों से अपील की है को नई कॉलोनी में प्लॉट खरीदने से पूर्व संबंधित भूमि का डायवर्शन, सक्षम अधिकारी से स्वीकृत लेआउट, रेरा रजिस्ट्रेशन और कॉलोनाइजर लाइसेंस की पुष्टि अवश्य करें। अनधिकृत व अवैध कॉलोनियों के विरुद्ध यह दंडात्मक अभियान आगे भी जारी रहेगा।

संत गजानन महाराज की पुण्यतिथि पर होंगे भव्य आयोजन

सौसर, देशबन्धु। परमात्मा की असीम कृपा से संत गजानन गुणगान मंडल द्वारा प्रतिवर्षानुसार इस वर्ष भी ऋषि पंचमी के पावन पर्व पर गजानन महाराज की पुण्यतिथि के अवसर पर भव्य एवं दिव्य आयोजन किया जाएगा।

संत गजानन गुणगान मंडल के संचालक आनंद बक्षी ने

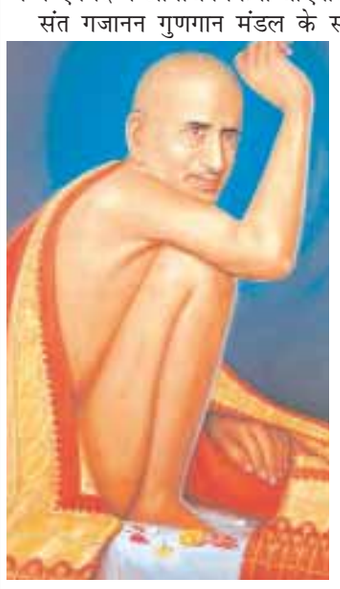

बताया कि आगामी 15 सितंबर, दिन मंगलवार को प्रात: 7:30 बजे पंडित किशोर तातेकर द्वारा वैदिक मंत्रोच्चार से देवी-देवताओं एवं गजानन महाराज का अभिषेक किया जाएगा। प्रात: 10 बजे से जय जय रघुवीर समर्थ मंडल द्वारा भजनों की सुमधुर प्रस्तुति दी जाएगी। प्रात: 11 बजे महाआरती होगी। 11:30 बजे से दोपहर 3:30 बजे तक' महाराज के अत्यंत प्रिय भोजन बेसन भाकर का महाप्रसाद भंडारा होगा। शाम 6:30 बजे संत भेट हेतु गजानन महाराज की पालकी विवेकानंद कॉलोनी के विभिन्न मार्गों से होती हुई श्री शिरडी साईं मंदिर तक निकाली जाएगी। संजय औरंगाबादकर एवं सुभाष स्मार्थ ने पुण्यतिथि महोत्सव को सफल बनाने हेतु धन, धान्य एवं वस्तु दान का आग्रह किया है।

संत गजानन गुणगान मंडल के रजनीकांत वाजपेयी, सौ. श्रुति सायखेड़कर, सुधीर सायखेड़कर, सौ. वर्षा पाठक, विजया धोटे, सौ. अमृता जोशी, सौ. मोना कस्तूरे, श्याम मोहरे, कृष्णा मंगरूलकर, प्रदीप मूले, संदीप फिरके ने सभी धर्मप्रेमी समुदाय एवं मातृशक्ति से अधिक से अधिक संख्या में उपस्थित होकर पुण्यार्जन करने का आग्रह किया है।

केन्द्रीय चिकित्सालय बड़कुही में ईएनटी स्पेशिलिस्ट डॉक्टर की नियुक्ति को लेकर पेंच प्रबंधन को लिखा पत्र

गुढ़ी अंबाड़ा, देशबन्धु। केंद्रीय चिकित्सालय बड़कुई में ईएनटी स्पेशलिस्ट डॉक्टर की नियुक्ति को लेकर एससी एसटी ओबीसी काउंसिल के पेंच क्षेत्र मीडिया प्रभारी तौसीफ सिद्दीकी ने मुख्य महाप्रबंधक पेंच क्षेत्र को पत्र लिखा एवं पत्र के माध्यम से बताया कि वेकोलि के द्वारा पेंच क्षेत्र में केंद्रीय चिकित्सालय बड़कुई का संचालन किया जा रहा है जहां पर पेंच कन्हान और पाथाखेड़ा क्षेत्र की कोयला खदानों में कार्यरत कामगारो व उसके आश्रितों का इलाज किया जाता है। इसी चिकित्सालय में कान नाक गला (ईएनटी) विशेषज्ञ डॉक्टर के ना होने से श्रमिकों व उनके परिजनों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है एवं इससे संबंधित बीमारी के इलाज के लिए अन्य जगह पर इलाज कराना पड़ रहा है। जबकि सीनियर डॉक्टर एस.के. चंदेरिया जो कि ईएनटी स्पेशलिस्ट है और वर्तमान में वेकोलि के वेलफेयर हॉस्पिटल सुकरी (जामई) में पदस्थ है अगर उनकी पद स्थापना केंद्रीय चिकित्सालय बड़कुही में कर दी जाए तो इस समस्या का समाधान हो सकता है एवं तौसीफ सिद्दीकी ने पत्र के माध्यम से आग्रह किया कि मजदूरों के हितों को ध्यान में रखकर केंद्रीय चिकित्सालय बड़कुई में ईएनटी डॉक्टर की नियुक्ति की जाए।

चंदनगांव में बिना अनुमति विकसित कॉलोनी अनाधिकृत घोषित, एफआईआर दर्ज कराने के निर्देश

छिन्दवाड़ा, देशबन्धु। नगर पालिक निगम छिंदवाड़ा सीमांतर्गत बिना सक्षम अनुमति अवैध कॉलोनी निर्माण एवं भूखंड विक्रय पर रोक लगाने हेतु निगम आयुक्त सीपी राय के निर्देश पर कड़ी वैधानिक कार्यवाही निरंतर जारी है। इसी श्रृंखला में मौजा चंदनगांव में अनाधिकृत रूप से कॉलोनी का निर्माण करने पर भूमि स्वामी श्रीमती पारवती पति जयदेव निवासी चंदनगांव की कॉलोनी को मध्यप्रदेश कॉलोनी विकास नियम 2021 के प्रावधानों के तहत अनाधिकृत (अवैध) कॉलोनी घोषित कर दिया गया है।

मौजा चंदनगांव स्थित खसरा नंबर 524/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1 रकबा 0.4520 हेक्टेयर भूमि पर भूमि स्वामी द्वारा बिना भूमि व्यपवर्तन (डायवर्सन), कालोनाइजर लाइसेंस, रेरा पंजीयन एवं कॉलोनी विकास की अनुमति प्राप्त किए भूमि को छोटे-छोटे भूखंडों में विभक्त कर विक्रय कर दिया गया। राजस्व निरीक्षक मंडल एवं मौजा पटवारी के संयुक्त जांच दल द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदन एवं पंचनामा के आधार पर यह कृत्य म.प्र. नगर पालिका (कॉलोनी विकास नियम 2021) का स्पष्ट उल्लंघन पाया गया।

नगर निगम कार्यालय द्वारा जारी कारण बताओं सूचना पत्र के जवाब में भूमि स्वामी द्वारा प्रस्तुत उत्तर विधिसम्मत न होने के कारण अमान्य कर दिया गया, जिसके उपरांत नगर निगम आयुक्त सी.पी. राय ने उक्त स्थल को अवैध कॉलोनी घोषित करने की कार्यवाही की।

निगम आयुक्त सी.पी. राय ने स्पष्ट किया है कि नियमों का उल्लंघन कर बसाई जा रही अवैध कॉलोनियों पर किसी भी प्रकार की शिथिलता नहीं बरती जाएगी। म.प्र. नगर पालिका नियम 2021 के तहत संबंधित भूमि स्वामी के विरुद्ध सुसंगत धाराओं में दंडात्मक कार्यवाही हेतु पुलिस थाने में प्राथमिक सूचना रिपोर्ट एफआईआर दर्ज कराई जा रही है।

नगर निगम प्रशासन ने आम नागरिकों से अपील की है कि वे अपनी गाढ़ी कमाई से भूखंड क्रय करने से पूर्व नगर निगम से कॉलोनी की वैधता, स्वीकृत मानचित्र एवं रेरा पंजीयन संबंधी दस्तावेजों की जांच अवश्य कर लें।

खुले में मछली विक्रय से आधुनिक फिश कियोस्क संचालन तक संध्या कुसमारिया की कहानी

छिन्दवाड़ा, देशबन्धु। आत्मनिर्भरता की राह पर आगे बढ़ने के लिए हमेशा बड़े अवसरों की जरूरत नहीं होती, कई बार सही समय पर मिला छोटा सहयोग भी जीवन में बड़ा बदलाव ला देता है। ऐसी ही प्रेरणादायक कहानी है छिंदवाड़ा जिले के चौरई विकासखण्ड के ग्राम चाँद की श्रीमती संध्या कुशमरिया की, जिन्होंने अपने पारंपरिक मछली विक्रय व्यवसाय को प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के सहयोग से एक व्यवस्थित और स्थायी स्वरोजगार में बदल दिया।

श्रीमती संध्या लंबे समय से मछली विक्रय का कार्य कर रही थीं। पहले वे छिंदवाड़ा रोड के किनारे स्थित मछली बाजार में खुले स्थान पर मछली बेचती थीं। सीमित सुविधाओं के बीच व्यवसाय संचालित करना उनके लिए आसान नहीं था। मौसम की मार, स्वच्छता की समस्या, मछली को सुरक्षित रखने में कठिनाई और ग्राहकों के लिए उचित व्यवस्था का अभाव उनके व्यवसाय के सामने बड़ी चुनौतियां थीं। इन परिस्थितियों में उनकी मछली बिक्री लगभग

प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना से स्वरोजगार को मिली नई पहचान

10 से 15 किलोग्राम प्रतिदिन तक सीमित थी और मासिक आय लगभग 8,000/- से 10,000/- रूपये थी।

योजना ने बदली व्यवसाय की तस्वीर-श्रीमती संध्या को मत्स्योद्योग विभाग की प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना की मदद से फिश कियोस्क स्थापित करने का अवसर मिला। कुल 10 लाख की इकाई लागत में उन्हें 6 लाख की अनुदान सहायता प्राप्त हुई। फिश कियोस्क स्थापित होने के बाद उनके व्यवसाय को एक नई दिशा मिली। अब वे उसी छिंदवाड़ा रोड स्थित मछली बाजार में खुले स्थान के बजाय अपने व्यवस्थित फिश कियोस्क के माध्यम से मछली का विक्रय कर रही हैं।

कियोस्क के माध्यम से मछली बिक्री की व्यवस्था अधिक स्वच्छ, व्यवस्थित और आकर्षक हुई। इससे ग्राहकों का भरोसा बढ़ा और व्यवसाय का विस्तार भी हुआ। आज श्रीमती संध्या लगभग 30 से 40 किलोग्राम मछली प्रतिदिन बेच रही हैं। उनकी औसत मासिक आय बढ़कर दोगुनी से अधिक लगभग 25,000/- रूपये प्रति माह हो गई है। इस तरह योजना के सहयोग से न केवल उनके व्यवसाय का स्तर बढ़ा, बल्कि उनकी आय में भी उल्लेखनीय वृद्धि हुई। फिश कियोस्क ने श्रीमती संध्या के लिए केवल मछली बेचने की जगह उपलब्ध नहीं कराई, बल्कि उनके व्यवसाय को स्थायित्व और सम्मान भी दिया। अब वे अपने व्यवसाय का संचालन अधिक आत्मविश्वास के साथ स्वयं कर रही हैं और परिवार की आर्थिक स्थिति को मजबूत करने में महत्वपूर्ण योगदान दे रही हैं।

छिंदवाड़ा रोड के किनारे खुले में मछली बेचने से लेकर अपने फिश कियोस्क तक का सफर श्रीमती संध्या कुशमरिया की आर्थिक आत्मनिर्भरता की कहानी है। प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के सहयोग से उन्होंने न केवल अपने व्यवसाय को नई पहचान दी, बल्कि यह भी दिखाया कि महिलाएं मत्स्य क्षेत्र में आगे बढ़कर अपने परिवार की आर्थिक मजबूती और आत्मनिर्भरता में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती हैं।

पीजी कॉलेज में प्रस्तुतिकरण दक्षता पर व्याख्यानमाला

संवाद में वाचालता अहंकार प्रकट करती है : प्रो. अमरसिंह

छिन्दवाड़ा, देशबन्धु। प्रधानमंत्री कालेज ऑफ एक्सीलेंस पी.जी. कालेज छिंदवाड़ा के अंग्रेजी विभाग द्वारा नवप्रवेशित छात्रों के लिए आयोजित प्रेजेंटेशन स्किल्स पर व्याख्यान में प्रो. अमर सिंह ने कहा कि संवाद में अहंकार आने से व्यक्ति वाचालता का शिकार हो जाता है। सतत अभ्यास से प्रस्तुति को प्रभावी बनाया जा सकता है। एक अच्छा श्रोता ही अच्छा वक्ता बन सकता है। वक्ता के उद्गार सीधे हृदय से निकल श्रोता के हृदय तक पहुंचने चाहिए। वक्ता का श्रोता से बिना भावनात्मक जुड़ाव के कही गई बातें बेअसर हो जाती हैं।

विभागाध्यक्ष प्रो. दीप्ति जैन ने कहा कि वक्ता की से आँख मिलाकर पूरे आत्मविश्वास से दी गई प्रस्तुति तुरंत प्रभाव छोड़ती

है। अच्छे वक्ता को अपने श्रोताओं की भाषा के समझ के स्तर पर उतरना पड़ता है। संवाद की अदायगी का शरीर के हावभावों से मेल खाना चाहिए। प्रो. तृप्ति मिश्रा ने कहा कि कुशल वक्ता को अनावश्यक विषय सामग्री से बचकर वैचारिक पारदर्शिता बरतनी चाहिए। जिस वक्ता को स्वयं पर भरोसा नहीं होता है, वह अपने श्रोताओं को भी नीरस बनाता है। प्रो. नीलिमा सोनी ने कहा कि वक्ता को अपनी बात कहानी कहने की शैली में कहनी चाहिए। प्रो. नवनीत भाटिया ने कहा कि वक्ता को अपने संवाद की प्रस्तुति में लयात्मकता, आरोह-अवरोह और टोन को भली-भांति कायम रखने का अभ्यास करना चाहिए।

नगर निगम छिंदवाड़ा के वार्ड क्रमांक 47 के उप निर्वाचन की प्रक्रिया स्थगित

छिन्दवाड़ा, देशबन्धु। मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग, भोपाल द्वारा नगर पालिक निगम छिंदवाड़ा के वार्ड क्रमांक 47 से पार्षद पद के उप निर्वाचन हेतु पूर्व में जारी निर्वाचन कार्यक्रम को स्थगित कर दिया गया है।उप जिला निर्वाचन अधिकारी (स्थानीय निर्वाचन) छिंदवाड़ा ने जानकारी देते हुए बताया कि मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग, भोपाल के 31 अगस्त के परिपालन में नगर पालिक निगम छिंदवाड़ा के वार्ड क्रमांक 47 के पार्षद पद के उप निर्वाचन के लिए निर्वाचन कार्यक्रम जारी किया गया था। उन्होंने बताया कि मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग, भोपाल द्वारा उक्त उप निर्वाचन की निर्वाचन प्रक्रिया को स्थगित कर दिया गया है।